

9/8/19

पञ्जाबी पत्रा उभयपक्ष वकील उभय उभयपक्ष
वकीलो को मुक्त गणत पञ्जाबी का
अध्यापन विवलोहन विपरीत चूंकि मूल
वाड में प्रथादिब डिब्बी जारी हो गई तथा
विशेष वकील का कथन है कि वे वाडम
अधि का वेधन भी नहीं करेंगे अतः
अपराह होता है कि स्वयं आदेशों
अवेदन को आगे चलाने का नहि

विधान नं०


क 5011

mm

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

ओचित्त वही है, फार: स्वयं आदेश
के आवेदन में आगे की कार्यवाही
कर पानेमापु नी जाकर स्वयं
आदेश खादीन विपा जात है।
पुलवनी कुल सुन होकर सिकल
सुन ही सेवा लेमपु है।


सहायक कलेक्टर
घोहर